श्री सभापति: मैं फूड मिनिस्टर से पूछना चाहूंगा कि इनकी रिक्वेस्ट पर जितने खाद्यान्न की आवश्यकता होगी वह जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा देंगे?

श्री शरद पवार: आपकी रिक्वेस्ट पर भी करेंगे, इसमें कोई प्रोब्लम नहीं है।

श्री सभापति: इनका ध्यान नहीं देंगे, मेंरी रिक्वेस्ट पर ध्यान देंगे।

श्री शरद पवार: इनका तो ध्यान देंगे ही, मगर आपके सुझाव पर भी ध्यान देंगे।

गेहूं का उत्पादन

*183. **श्री मोती लाल वोरा:††**
श्री जनार्दन द्विवेदी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 2005 में देश में गेहूं का स्टॉक घटकर लगभग 143 लाख टन रह गया है;

(ख) यदि हां, तो गेहूं उत्पादन में निरन्तर गिरावट के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार देश में बढ़ती आबादी के अनुपात में गेहूं उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है;

(घ) भविष्य में गेहूं और विविध फसलों के उत्पादन में कमी न आने देने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है; और

(ङ) क्या सरकार गेहूं और विविध फसलों के उत्पादन में कमी न आने देने के लिए कृषि भूमि के आवासीय उपयोग पर भी प्रतिबंध लगायेगी; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) दिनांक 10 जुलाई, 2005 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 144.54 लाख मीटरी टन था। इससे पूर्व (30 अक्तूबर, 1988 से मार्च, 2005 तक) गेहूं का न्यूनतम बफर स्टॉक मानदण्ड दिनांक 01 जुलाई को 143.0 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया था। तथापि, सरकार ने न्यूनतम बफर स्टॉक मानदण्ड अब संशोधित कर दिया है और इसे अप्रैल, 2005 से लागू किया गया है, जिसके अनुसार गेहूं का न्यूनतम बफर स्टॉक 01 जुलाई को 171.0 लाख मीटरी टन है।

---

††सभा में यह प्रश्न श्री मोतीलाल वोरा द्वारा पूछा गया।

(ख) पिछले तीन वर्षों में गेहूं का उत्पादन 657.6 लाख मीटरी टन से 721.1 लाख मीटरी टन के बीच घटता-बढ़ता रहा है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 1999-2000 में 763.7 लाख मीटरी टन रिकार्ड किया गया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान गेहूं के उत्पादन में गिरावट इसकी खेती के क्षेत्र में कमी तथा कुछ सीमा तक प्रतिकूल मौसम के कारण आई।

(ग) देश में गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इनमें नई उन्नत किस्मों, गुणवत्ता युक्त बीजों को प्रोत्साहन देना, संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी जैसे फसल अवशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना, जीरो टिलेज एवं फरो इरीगेटेड रेज्ड बेड (एफ॰आई॰आर॰बी॰) प्लांटिंग, समय पर रोपण, उर्वरकों का अनुकूलतम व सन्तुलित उपयोग, पोषक तत्वों की कमी वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग आदि शामिल हैं।

(घ) भारत सरकार द्वारा वृहद प्रबन्ध नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत गेहूं एवं अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए है। ये हैं-गेहूं, चावल तथा मोटा अनाज आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई॰सी॰डी॰पी॰-गेहूं, आई॰सी॰डी॰पी॰-चावल तथा आई॰सी॰डी॰पी॰-मोटा अनाज)।

(ङ) भूमि राज्य का विषय है; अत: कृषि भूमि के परिवर्तन (कन्वर्शन) पर रोक लगाने संबंधी उपाय संबंधित राज्य सरकार द्वारा किए जाने हैं। सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में परिचालित राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति रूपरेखा (एन॰एल॰पी॰ओ॰) - 1988 में अन्य बातों के साथ-साथ कृषि भूमि का प्रयोग गैर कृषि परियोजनार्थ करने पर रोक लगाने का परामर्श दिया गया है। कुछ राज्यों में कृषि भूमि का उपयोग गैर कृषि प्रयोजनार्थ करने पर रोक लगाने के लिए कानून/अधिनियम हैं, तो कुछ राज्यों द्वारा डाइवर्शन पर रोक लगाने के लिए कार्यकारी आदेश जारी किए गए हैं।

Wheat Production

†*183. SHRI MOTILAL VORA:††
SHRI JANARDAN DWIVEDI:

Will the MINISTER OF AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the stock of wheat during July, 2005 in the country has come down to around 143 lakh tonnes;

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the house by Shri Motilal Vora.

(b) if so, the reasons for continuous decline in the production of wheat;

(c) the steps being taken by Government for increasing production of wheat to keep pace with the increase in population of the country;

(d) the scheme formulated by Government to increase wheat production and various other crops so that their production does not decline in future; and

(e) whether Government would also ban residential use of agricultural land to increase the production of wheat and various other crops, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The wheat buffer stock in central pool was 144.54 lakh tonnes as on july 1st, 2005. Earlier (from 30th october, 1998 to march, 2005), the minimum buffer stock norm of wheat was fixed at 143.0 lakh tonnes as on 1st July. However the Government has now revised the minimum buffer stock norm effective from April, 2005 according to which the minimum buffer stock of wheat is 171.0 lakh tonnes as on 1st July.

(b) The wheat production has fluctuated between 657.6 lakh tonnes to 721.1 lakh tonnes in the last three years. The highest wheat production of 763.7 lakh tonnes was recorded in 1999-2000. The decline in wheat production in the last few years is because of reduction in area and to some extent unfavourable weather conditions.

(c) Government has taken a number of steps for increasing production of wheat. These include promotion of new improved varieties quality seeds, promotion of resource conversation technologies such as crop residue management zero tillage and Forrow Irrigated Raised Bed(FIRB) planting; timely sowing; optimum and balanced use of fertilizers use of micronutrients in deficient areas; etc,

(d) Government of india is operating a Centrally Sponsored Scheme of Macro Management under which a number of programmes have been taken up for increasing wheat production and other crops. These are Integrated

Cereals Development Programmes in Wheat, Rice and Coarse Cereals Based Cropping System Areas(ICDP-Wheat, ICDP-Rice-and ICDP-Coarse Cereals).

(e) Land is a State subject and therefore steps to stop conversion of agricultural land are to be taken by the State Government. The National Land Use policy Outlines (NLPO) - 1988 issued to all the States and Union Territories *inter alia* advising to all States and Union Territories to Check diversion of agriculture land to non agricultural purpose.While some States have law/act for checking diversion of agriculture land to non agricultural purpose, some States have issued executive orders to check the diversion.

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब तो विस्तार से दिया है, लेकिन उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि 1 जुलाई, 2005 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 144.54 लाख मीट्रिक टन था। इसी जवाब में उन्होंने कहा है कि तथापि सरकार ने न्यूनतम बफर स्टॉक मानदंड अब संशोधित कर दिया है और इसे अप्रैल, 2005 से लागू किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब आपके पास 144.54 लाख मैट्रिक टन का स्टॉक था तो सरकार ने जो न्यूनतम बफर स्टॉक मानदंड में संशोधन करके यह 171.0 लाख मीट्रिक टन क्यों किया। माननीय सभापति महोदय, देश में गेहूं के उत्पादन में निरन्तर कमी आ रही है और पिछले 8 वर्षों के आंकड़ों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि गेहूं के उत्पादन में निरन्तर कमी आती जा रही है। इस बार हमारा बफर स्टॉक भी कम हुआ है। हम हर महीने 15 लाख टन गेहूं उन योजनाओं में देते हैं चाहे वह हमारी काम के लिए अनाज योजना हो या काम के लिए रोजगार की योजना हो। अभी पिछले तीन महीनों में हमने करीब 45 लाख टन दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आज हमारी स्थिति क्या है, क्योंकि माननीय सभापति महोदय, पिछले दो साल पहले हमने 300 लाख टन गेहूं यहां से निर्यात किया था। माननीय मंत्री जी ने संकेत किया कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हमें गेहूं का आयात भी करना पड़ सकता है। माननीय मंत्री जी, तो क्या ऐसी स्थिति आने की सम्भावना है?

श्री शरद पवार: ठीक बात है कि अगले नौ महीने में पूरे देश की जो रिक्वायरमेंट है वह लगभग 135 लाख टन के आसपास है और जो स्टॉक पोजीशन है वह इससे भी ज्यादा है। यह बात सच है कि पिछले कई सालों में ओवर ऑल प्रोडक्शन पर असर हुआ है। जो मेक्सिमम प्रोडक्शन हुआ था 1999-2000 में इससे हम नीचे आए हैं, हमारा क्षेत्र कम हुआ है। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी पर भी कुछ बुरा असर हुआ है और इसका टोटल प्रोक्योरमेंट पर भी असर हुआ है। इस साल हमारा प्रोक्योरमेंट जो हमने एक टारगेट रखा था इसमें से 20 लाख टन कम हुआ है।

खास तौर पर जहां सबसे ज्यादा हमेशा गेहूं का उत्पादन होता है वहां पिछले साल एक नैसर्गिक परिस्थिति ऐसी पैदा हुई कि जिससे उत्पादन पर बुरा असर हो गया। यह स्थिति हो गई मगर देश के स्टॉक की पोजीशन में कोई परिस्थिति खराब नहीं है क्योंकि पिछले साल का स्टॉक हमारे पास पूरा है। बफर स्टॉक के नार्म्स अभी बदले यह बात सच है, और यह बदले इसलिए कि उनसे पहले फूड फॉर वर्क की स्कीम नहीं थी। यह फूड फॉर वर्क की स्कीम लेने के बाद फूड की रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी, यह समझकर इससे पहले जो नार्म्स थे, इससे नार्म्स में बदलाव किया गया और ज्यादा स्टॉक रखने की तैयारी भारत सरकार ने रखी है। इसमें कोई कमी इस देश में इस साल नहीं आएंगी और हमारा यह ध्यान रहेगा कि आज तक की जो परम्परा है कि फूड सिक्योरिटी की समस्या हल करने के लिए, जो जरूरत पड़ेगी वहां तक उत्पादन कैसे बढ़ेगा इस पर ध्यान दिया गया है।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस बात को तो कहा है कि गेहूं का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में घटा है। अगर आप आंकड़े देखें, तो जहां 1992 में यह 65 लाख ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अब आंकड़ों से क्या होता हैं इन्होंने इस बात को मान ही लिया है।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, मेरा केवल कहने का मतलब यह है कि हमारे गेहूं के उत्पादन में निरंतर कमी आ रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें निरंतर कमी आने के कौन-कौन से कारण हैं? मेरा दूसरा प्रश्न है कि इस कमी को दूर करने की दिशा में हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने कौन-से ऐसे कदम उठाये हैं? अब बीज़ महंगे हो गये हैं, इनको कुछ कम करना होगा और उर्वरक, बिजली, पानी, ये सारी चीजें भी महंगी हो गई हैं।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, बताइये। मंत्री जी, आपने क्या efforts किये हैं?

श्री शरद पवार: सभापति महोदय, यह बात सच है कि प्रोडक्शन में कमी आई है, लेकिन इतनी ज्यादा कमी नहीं आई है। आप देखिये, वर्ष 2000-01 में देश का टोटल प्रोडक्शन 696.08 लाख टन था, वर्ष 2001-02 में देश का टोटल प्रोडक्शन 727 लाख टन था, यानी वह बढ़ गया। तीसरे साल 2002-03 में 697 लाख टन हो गया, यहां पर प्रोडक्शन कम हो गया। वर्ष 2003-04 में 721 लाख टन प्रोडक्शन हो गया, यानी बढ़ गया। वर्ष 2004-05 में 720 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ, यानी पिछले साल के मुकाबले में इसमें एक लाख का फर्क है। प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा फर्क हुआ है, ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन कम जरूर हुआ है। मगर एक बात साफ है कि प्रोक्युरमेंट में फर्क हुआ है। प्रोक्युरमेंट इस साल 20 लाख टन से कम हुआ है, यह बात सच है और इसलिए यह परिस्थिति पैदा हो गई है।

जहां तक रीजन्स की बात यहां पूछी गई है, तो इसमें एक है कि Less area coverage under the yield as compared to 1999-2000. एक तो यह रीजन है। Decrease in soil fertility, particularly rice, wheat cropping pattern. खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में कंटीन्युअसली राइस, वीट, क्रॉपिंग पैटर्न ले रहे हैं, इसका कुछ न कुछ असर प्रोडक्टिविटी पर हुआ है। Increasing deficiency of micro-resistants like sulphur, zinc. Inadequate soil moisture due to lack of winter rains during the wheat-growing season and early rise in temperature in February, particularly during 2003-04. These are the essentially reasons एंड इस बारे में कई स्टेप्स लिये हैं। एक तो Varietal diversification and cultivation of new high-varieties, बार-बार इसी किस्म की वैरायटी का इस्तेमाल किया है, इसलिए वैरायटी में बदलाव लाने की आवश्यकता थी और यह नई वैरायटी जो high yield की वैरायटी है, इसका प्रसार करने की तरफ ध्यान दिया गया है। Promotion of the Resource Conservation Technology like crop reschedule, zero tillage, etc. So, a number of programmes have been taken up. खासतौर पर जिन राज्यों में गेहूं का ज्यादा उत्पादन होता है और जिन राज्यों में कमी आई है, वहां पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। सरकार के जो प्रोडक्शन कमीशनर, एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी और कंसर्न्ड मिनिस्टर के साथ मेरे लेवल पर कंटीन्युअस मीटिंग्स हुई हैं और इस साल इसमें कैसे सुधार किया जायेगा, इन सब की तरफ ध्यान दिया गया है। मुझे लगता है कि इस साल परिस्थिति में बदलाव आयेगा और वह अच्छा आयेगा।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति जी, मैंने एक प्रश्न पूछा था कि खाद्यान्न के उत्पादन में जो निरंतर कमी आ रही है, उसका एक कारण यह है कि जो पारम्परिक खेती है, उसको छोड़कर किसान नगद फसल की तरफ आकर्षित हुआ है।

श्री सभापति: यह कारण आपने बताया है।

श्री मोतीलाल वोरा: सभापति महोदय, मेरे कहने का आशय यह है कि गेहूं का उत्पादन करने वाले राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं, जहां सर्वाधित गेहूं का उत्पादन होता है....।

श्री सभापति: देखिये, मूल समस्या अभी जो आपको बताई है कि उत्पादन में कमी आई है, वह ज्यादा संकट नहीं है, संकट इस बात का है कि प्रोक्योरमेंट कम हुआ है।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, प्रोक्योरमेंट कम क्यों हुआ है, अगर प्रोक्योरमेंट

...(व्यावधान)...

श्री सभापति: यही सवाल पूछना था।

श्री मोती लाल वोरा: अगर प्रोक्योरमेंट कम हुआ है, तो सस्ते अनाज की दुकानों में गेंहू काफी महंगा हो जायेगा, बाजार में गेहूं महंगा हो जायेगा... ।

श्री सभापति: इसके परिणाम को सभी भुगतेंगे। आप पूछ लीजिए कि खाद्यान्न के प्रोक्योरमेंट का लक्ष्य क्या था और कितना पूरा हुआ है?

श्री मोती लाल वोरा: सभापति महोदया, मैं आपके सुझाव से और आपके आदेश से सहमत हूं।

श्री सभापति: मेरा आदेश नहीं है।

श्री मोती लाल वोरा: लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमारा प्रोक्योरमेंट कम हुआ है, तो प्रोक्योरमेंट कम होने का असर हमारे आने वाले समय पर अवश्य पड़ेगा। उसके लिए आपने कौन-से कारगर कदम उठाने की तैयारी की है?

श्री शरद पवार: इस साल व्हीट की प्रोक्योरमेंट कम हो गयी है, यह बात सच है लेकिन इसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि इसके लिए देश की जो रिक्वायरमेंट है, उतना स्टॉक हमारे पास आज है और आगे के लिए बफर स्टॉक में जो कुछ कमी थी, वह भी पूरी करने की ओर हमने ध्यान दिया है। एक बात यह भी है कि व्हीट का प्रोक्योरमेंट कम हो गया है लेकिन राइस का प्रोक्योरमेंट इस साल बढा है और राइस और व्हीट दोनों मिलाकर टोटल स्टॉक में जहां हम व्हीट देते हैं, वहां की कॉन्टीन्यूअस डिमांड है कि हमारा व्हीट कम करो, हमें राइस ज्यादा दे दो। इस प्रकार उन्हें ज्यादा राइस देने की शुरुआत हमने की है इसलिए व्हीट का प्रतिशत उस एरिया का कम हो गया है। इस प्रकार से व्हीट का जो प्रोक्योरमेंट कम हुआ है, उसका असर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर नहीं हुआ है। आज व्हीट की जो कीमत बाजार में है, वह कॉन्टीन्यूअसली एक ही लैवल पर है और हम रेग्यूलर मॉनिटर करते हैं। आज इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ है।

श्री जनार्दन द्विवेदी: सभापति जी, मंत्री जी ने सवालों के जवाब बड़े विस्तार से दिए हैं लेकिन उनका ज्यादातर ध्यान इस पर केन्द्रित है कि आज क्या स्थिति है जब कि जो कृषि की नीति का मामला है, यह आज का सवाल नहीं है, आगे क्या होगा, भविष्य में उसका क्या परिणाम निकलेगा, यह सवाल हैं जैसे उन्होंने स्वीकार किया है कि कृषि योग्य जमीन लगातार कम हो रही है। इसी तरह से किसानों के लिए नकद फसल, जो हाई यील्डिंग क्रॉप्स की बात उन्होंने कही है तो कई बार हम बड़ी-बड़ी बातों में छोटी-छोटी समस्याएं, जो किसानों के लिए बड़ी होती है, जिनका उन पर असर पड़ता है, उन्हें भूल जाते हैं। यह जो नकद फसल वाला मामला है, हाई यील्डिंग वाला, इसमें सुना यह है कि इस तरह की स्थितियां हैं कि जो बीज एक बार इस्तेमाल

होता है, वही दिया जाता है, वे अपनी फसल से बीज सुरक्षित नहीं रख सकते। उनको हर बार फिर नया बीज खरीदना पड़ता है। इसी तरह से ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप क्वेश्चन करिए, सीधा क्वेश्चन करिए।

श्री जनार्दन द्विवेदी: यह भी चर्चा है कि कई आयात कम्पनियां अभी से आयात की तैयारी कर रही हैं और शुल्क में कटौती की मांग कर रही हैं। अगर यह निहित स्वार्थ इस तरह की आगे की तैयारी कर सकते हैं तो हमें भी अपनी फसल बढ़ाने और किसानों के हितों की रक्षा की स्थायी तैयारी करनी चाहिए, इसके लिए मंत्री जी ने क्या उपाय किए हैं?

श्री शरद पवार: सर, इसी वजह से इस साल व्हीट का क्षेत्र कैसे बढ़ेगा, इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। जहां तक आयात की बात है, कोई भी आयात करने के लिए आगे आ सकता है लेकिन इस देश का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पिछले कई सालों के मुकाबले इस साल बहुत अच्छा हुआ है इसलिए हम इम्पोर्ट के खिलाफ हैं। जरूरत पड़ी तो सोच सकते हैं, लेकिन आज इसकी जरूरत नहीं है। पिछले साल भी चीनी को इम्पोर्ट करने का प्रेशर था, हमने अलाऊ नहीं किया। थोड़ी-बहुत कीमत ऊपर गयी लेकिन किसानों को राहत देने की जो बात थी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। वही नीति हमारी गेहूं के बारे में भी है, चावल के बारे में भी है, सभी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बारे में है और इस साल क्षेत्र बढ़ जाएगा तो यह जो समस्या पैदा हुई है, इसमें बदलाव आएगा और स्थिति दुरुस्त हो जाएगी।

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Sir, the question of wheat stocks, asked only last Friday, was the subject of Starred Question No. 85. When the hon. Minister for Agriculture was bringing comfort to the flood-affected people of Maharashtra, his Minister of State was present, and I had an impression that there was some confusion with regard to figures because they did not gel. And, I thought that I should get a clarification. So, I asked for Half-an-Hour Discussion. Now, I would put a question for the Minister of Agriculture. The present figure of 144.54 lakh tonnes is about nine lakh tonnes more than the requirement of fifteen lakh tonnes per month, which would come to about 135 lakh tonnes, while the figure of minimum norm, which was indicated, that is, 171 lakh tonnes is about nine lakh of tonnes more then what is necessary. Now, I have called it a mystery of "Missing nine lakh tonnes." Today, I would put a question. There are two terms which have been used today, but were not used seven days back. There is a 'norm stock'. and there is a 'minimum buffer stock". And, 171 lakh tonnes is called the minimum buffer stock, as on 1st July, 2005. If

that is the minimum, and if we are not keeping that, then, there is something which is not going well.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, as I said, the total requirement of the country is 135. आज हमारे स्टॉक की पोजीशन इससे ज्यादा है। जो दूसरे नॉर्म्स की बात उन्होंने कही है, यह बात सच है कि नॉर्म्स बदले हैं। नॉर्म्स इसलिए बदले हैं क्योंकि आज तक फूड फॉर वर्क की स्कीम इस देश में नहीं थी। फूड फॉर वर्क की रिक्वायरमेंट को समझकर इसमें कुछ बदलाव किया गया है लेकिन आज टोटल रिक्वायरमेंट को देखने के बाद गेहूं की कमी देश में नहीं है और जैसा मैंने कहा कि चावल का उत्पादन और स्टॉक की पोजीशन अच्छी है इसलिए फूड फार वर्क के लिए और किसी जगह पर अगर ज्यादा डिमांड आएगी...। कुछ ऐसे राज्य हैं, जहां राइस की डिमांड है और गेहूं की नहीं है। वहां पर राइस बढ़ाकर, हम गेहूं दूसरे राज्यों को भी दे सकते हैं, पॉजिशन कम्फर्टेबल है।

श्री कलराज मिश्र: सभापति जी, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि समूची संवृद्धि 3.72 परसेंट से घटकर 1.21 परसेंट प्रतिवर्ष रह गई है, ऐसी हालत में बढ़ती हुई जनसंख्या की स्थिति को देखकर प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता के लिए यदि सरकार की कोई योजना हो तो उसको बताएं क्योंकि इसमें खाद्यान्न लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

श्री सभापति: ठीक है।

श्री कलराज मिश्र: इसके कारण गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बिताने वालों की तादाद में बढ़ोत्तरी ही हो रही है। यदि ऐसा कोई योजना हो कि प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्ध कर सके, प्राप्त कर सके तो उसको बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री शरद पवार: इसमें दो चीजें हैं, एक तो बिलो पावर्टी लाइन के लिए अपनी एक अलग स्कीम है। इस देश में बिलो पावर्टी लाइन के लिए 35 Kg तक डिस्ट्रिब्यूशन पर अमल हो रहा है। देश के सभी राज्यों की जो रिक्वायरमेंट है, उसे पूरी तरह से पूरी करने का काम हो रहा है और वहां पर कोई भी कमी नहीं हैं। इनमें से भी एक गरीब वर्ग है, अंत्योदय योजना इनफेक्ट यह राजस्थान से आपके नेतृत्व में ही शुरू हुई थी।

श्री सभापति: गरीबों के हित में यदि कोई काम होगा तो राजस्थान से ही होगा। ...(व्यवधान)...

श्री शरद पवार: इसको स्वीकार करना मेरे लिए मुश्किल है कि वह हर बार होगा। यह बात सच है कि जो आपके नेतृत्व में वहां जो स्कीम शुरू हुई, उसको भारत सरकार ने स्वीकार किया। हर साल अंत्योदय के कार्ड बढ़ा रहे हैं। इस साल भी पचास लाख बढ़े हैं और पिछले साल भी

पचास लाख बढ़े हैं। इन वर्गों को कम दाम में अनाज देने का प्रबंध किया गया है। यहां पर जो समस्या सम्मानित सदस्य ने खड़ी की है, इससे एक बात साफ है कि अगले पांच साल में बढ़ती हुई आबादी को देखने के बाद, जो बिलो पावर्टी लाइन की पॉपुलेशन है, वह कम होने के बाद जब इनकी पर्चेजिंग पावर बढ़ेगी तो आज के स्टॉक की पॉजीशन, फूड सिक्योरिटी की समस्या कम करने के लिए ठीक है। इसलिए उसे करना पड़ेगा हम जो 11-वें प्लान की जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगले पांच साल में, इस देश में अनाज का उत्पादन डबल करना पड़ेगा, इस ओर ध्यान देना पड़ेगा तभी यह जो फूड सिक्योरिटी की समस्या है, वह खत्म हो जाएगी और इस लाइन पर आगे के सब कदम उठाए जाएंगे।

डा॰ कुमकुम राय: सभापति महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि यहां गेहूं का उत्पादन कुछ वर्षों में घटा है। जिन कारणों का यहां उल्लेख किया गया है, उनमें एक मुख्य कारण बीज है। पिछले कई वर्षों से ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: वह मत बताओ, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। इतना ही काफी है। आप क्वेश्चन पूछ लीजिए।

डा॰ कुमकुम राय: महोदय, इसी से संबंधित है कि पिछले कई वर्षों से मोनसेन्टो नामक बहुराष्ट्रीय कम्पनी का बीज लेकर, गरीब किसानों ने ज्यादा उत्पादन के लालच में अपने खेतों में गेहूं की फसल तैयार की। इसमें पूरा पौधा बनता है। गेहूं में बाली आती है, लेकिन जब बाली को दबाकर देखा जाता है तो उसमें से बीज नदारद रहते हैं, यानी कटाई के समय चाहे वह मक्का की फसल हो अथवा गेहूं की फसल हो, उसकी बाली में दाना नहीं होता है।

श्री सभापति: हो गया, बीजों की शिकायत है।

डा॰ कुमकुम राय: मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि किस प्रकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियां यहां खुले रूप में, बीजों को बेचकर हमारे किसानों को ठगने का काम करके उन्हें नुकसान में डालने का काम कर रही हैं।

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है।

डा॰ कुमकुम राय: तो क्या ऐसी कम्पनियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही की गई है? किसानों को अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाने के संबंध में क्या उपाए किए गए हैं?

श्री सभापति: जिस कम्पनी ने ऐसा खराब बीज दिया है, उसकी जानकारी दे दें। मैं सरकार से बात करूंगा और उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा।

DR. BIMAL JALAN: Sir, we have three, four different objectives in the agricultural field. One is food security, second is public distribution and the third is transfer of people from agriculture to other areas. Sir, my question to the hon. Minister through the Chair is simply this. Are we planning to have a separate discussion on this, because I don't think we can resolve these contradictory objectives in the field of agriculture, which is the most important, without a more intense discussion on various alternatives which are available to us?

SHRI SHARAD PAWAR: It is a very important issue. We are ready to resolve these issues. I have no objection for a discussion if the hon. Chairman permits and gives a specific time.

MR. CHAIRMAN: I will see to it.

Expansion of RINL

*184. SHRIMATI N.P. DURGA:†
SHRIMATI SUKHBUNS KAUR:

Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Planning Commission has approved the expansion plan for Rashtriya Ispat Nigam Ltd. (RINL) to increase its production from the present 3 1/2 million tonnes to 7 million tonnes;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that Government are seriously thinking of merging RINL with SAIL;

(d) if so, the reasons therefor;

(e) whether any consultations with State Government and the major political parties of the State have been held; and

(f) if so, what are Government's views thereon?

THE MINISTER OF STEEL (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) to (f) A Statement is laid on the Table of the House.

---

*The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati N.P. Durga.